

21/12/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
दोलाशरण हलकेश्वर हरकेश्वर पट्ट	नी	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
चरणवास	म	

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 272 / 2021 GCMS No. 2021/1033

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

21/12/2021

वादी श्री दोलाशरण हलकेश्वर पुत्र हरकेश्वर जाति पट्ट निवासी चरणवास द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चरणवास में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2078 ग्राम चरणवास पटवार मण्डल चरणवास के खाता नम्बर 61626364 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि दोलाशरण का राजस्व दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम दोलाशरण हलकेश्वर हरकेश्वर है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00837900537 आधार नम्बर 3521 7344 5444 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज 30/12/2021 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल करवा हो।



उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)



124-124